Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 134/2020

Md. Taimur Alam & Ors. ..... Appellants.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	03.08.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–11/2018–19 में दिनांक 13.09.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। अपीलार्थीगण अनुपस्थित। उत्तरवादीगण को सुना गया। अपीलार्थियों की ओर से दाखिल अपील ज्ञाप का अवलोकन किया। इनका कथन है कि मौजा–चितौरिया, थाना सं0–105, थाना–मनसाही, जिला–कटिहार, खाता सं0–626, खेसरा नं0–1802,1803,1804 एवं 1805, कुल रकवा–4.45 एकड़ भूमि राम नारायण चौधरी की थी जिसे सीलिंग प्रक्रियान्तर्गत अधिशेष घोषित करते हुए वाद सं0–14/2009–10 द्वारा इनके नाम लालकार्ड निर्गत किया गया। लालकार्ड प्राप्ति पश्चात् अपीलार्थीगण प्रश्नगत भूमि पर दखलकार होते हुए नामांतरण कराकर बिहार सरकार को भू–लगान भुगतान कर रहे हैं। निम्न न्यायालय द्वारा पत्रांक–340 दिनांक–25.05.18 के माध्यम से प्रश्नगत भूमि के जाँचोपरांत अंचलाधिकारी, मनसाही से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। अंचलाधिकारी, मनसाही ने पत्रांक–396 दिनांक–03.07.18 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए स्पष्ट किया कि उत्तरवादीगण प्रश्नगत भूमि के अतिक्रमणकारी है और उनके द्वारा बलपूर्वक उक्त भूमि पर झोपड़ी निर्मित कर दी गई है, जबकि उनका अपने निजी भूमि पर घर मकान बना हुआ है। निम्न न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया जो	

Web Copy. Not Official.

		विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं है। क्रमशः	
	लगातार 03.08.2023	इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है जो पोषणीय नहीं है। बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम ऐसे छोटे-छोटे मामले को निष्पादन हेतु स्थापित किया गया है। अपीलार्थीगण भूमिहीन एवं समाज के कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें जीविकोपार्जन हेतु सरकार द्वारा प्रश्नगत भूमि लालकार्ड के माध्यम से दी गई है। ये भू-लगान भुगतान करते आ रहे हैं। प्रश्नगत भूमि से संबंधित सक्षम व्यवहार न्यायालय, कटिहार में T.S.N. 155/2018,158,159,160/2018 तथा इस न्यायालय में विचाराधीन रहने के आधार पर वाद की कार्यवाही बंद करना न्यायोचित नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील कालबाधित एवं पक्षकार दोषग्रसित तथा तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। प्रश्नगत भूमि से संबंधित सिलिंग वाद सं0-05/19 अपर समाहर्त्ता, कटिहार तथा सदृश्य सिलिंग रिविजन नं0-243/14 इस न्यायालय में विचाराधीन लंबित है। इसके अतिरिक्त सब जज प्रथम के न्यायालय में उपरोक्त वर्णित कुल-4 टाईटल सूट दाखिल है। कुछ आवेदकों द्वारा समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष विविध सिलिंग अपील 644/2009-10 दाखिल किया गया है जिसमें अपर समाहर्त्ता द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में प्रश्नगत भूमि पर उत्तरवादियों का घर होने की बात कही गई है। उक्त सिलिंग अपील दिनांक-02.07.2010 को निष्पादित की जा चुकी है। अंचलाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथ्यों से परे एवं गलत है। अपीलार्थीगण लालकार्ड के आधार पर उक्त जमीन पर दखलकार नहीं है। प्रश्नगत खाता खेसरा की भूमि झकसू चौधरी के नाम खतियान दर्ज है। उनकी मृत्यु पश्चात् उनके तीन संतानों के बीच जमीन विभाजित हुई। प्रश्नगत भूमि उनके पुत्र रामनारायण चौधरी के हिस्से में आई। अपर समाहर्त्ता के समक्ष सिलिंग वाद सं0-102/1973-74 में महेन्द्र नारायण चौधरी की भूमि को अधिशेष से मुक्त किया गया है। उत्तरवादीगण महेन्द्र नारायण चौधरी के वारिशानों से उक्त भूमि विभिन्न विक्रय संलेख द्वारा प्राप्त किया गया	

Web Copy. Not Official.

		है, जिसपर ये दखलकार हैं। अपीलार्थियों द्वारा इन्हें बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके विरूद्ध सब जज प्रथम, कटिहार के न्यायालय में T.S.N.155/2018 एवं अन्य वर्णित टाईटल सूट दाखिल क्रमशः	
	लगातार 03.08.2023	किया गया है, जो विचाराधीन है। उक्त के आलोक प्रश्नगत मामला BLDR एक्ट के तहत् विचाराधीन नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। पक्षकारों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश, अपीलार्थी द्वारा दाखिल लिखित बहस तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों एवं दस्तावेजों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर बंदोबस्ती से प्राप्त परवाना एवं उत्तरवादियों द्वारा प्राप्त विक्रय संलेख के आधार पर दावा किया जा रहा है। निम्न न्यायालय ने सभी तथ्यों पर विचारोपरांत यह पाया है कि प्रश्नगत भूमि भू–हदबंदी के तहत अधिशेष होकर अर्जित है जिसे भू–हदबंदी वाद सं0–14/2009–10 से अपीलार्थियों के नाम बंदोबस्ती परवाना निर्गत है। अपीलार्थीगण उक्त भूमि से बेदखल है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थियों के पक्ष में निर्गत बंदोबस्ती परवाना निर्विवादित है। निम्न न्यायालय में अंचल अधिकारी, मनसाही ने पत्रांक–396 दिनांक–03.07.1918 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट मंतव्य धारित किया है कि बंदोबस्त प्रश्नगत भूमि से बेदखल हुए बंदोबस्तधारीगण को बंदोबस्ती परवाना के अनुसार दखल दिलाने के साथ–साथ संरक्षण दिये जाने का निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। अपीलार्थियों द्वारा वर्ष 2023–24 तक भू–लगान रसीद समर्पित किया गया है जिसमें उनके नाम पृथक जमाबंदी दर्ज है। अपर समाहर्त्ता, भू–हदबंदी, कटिहार ने विविध भू–हदबंदी वाद सं0–14/2009–10 में बंदोबस्तधारियों के पक्ष में आदेश पारित किया है। अपीलार्थीगण प्रश्रय प्राप्त रैयत है। उत्तरवादियों द्वारा विक्रय संलेख के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर दावा किया जा रहा है। विक्रय संलेख की वैधता के लिए उन्हें सक्षम व्यवहार न्यायालय का शरण लिया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि BLDR Act के अंतर्गत निम्न न्यायालय में दायर प्रश्नगत वाद के पश्चात् ही सभी वर्णित स्वत्व वाद सक्षम व्यवहार न्यायालय में दायर किये गये हैं जो उत्तरवादियों के अन्यथा मंशा को प्रदर्शित करता है।	

Web Copy, Not Official.

	लगातार 03.08.2023	निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए प्रश्नगत भूमि से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के आधार पर बंदोबस्तधारियों के दावे को अस्वीकार करना विधिसम्मत् एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थीगण वैध बंदोबस्तदार हैं। क्रमशः अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत् नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। निम्न न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थियों के पक्ष में निर्गत बंदोबस्ती परवाना के अनुसार प्रश्नगत भूमि का सीमांकन कराते हुए दखल–कब्जा एवं संरक्षण प्रदान कराना सुनिश्चित करेंगे। अपील आवेदन स्वीकृत। सक्षम व्यवहार न्यायालय में लंबित स्वत्व वादों में पारित न्याय निर्णय के फलाफल में यह आदेश प्रभावित होगा। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.